

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-864 / 2012

संस्थित दिनांक-31.10.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—मलाजखण्ड

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

1—संतोष पिता देवसिंह बिसेन, उम्र—33 वर्ष,

निवासी—ग्राम टिंगीपुर, थाना मलाजखण्ड,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

2—फिरोज खान पिता कलाम खान, उम्र—40 वर्ष,

निवासी—ग्राम गोण्डीटोला, चारटोला थाना मलाजखण्ड,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-12 / 05 / 2015 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323 / 34, 506 (भाग-दो) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-05.08.2012 को करीब 12:30 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत बस स्टैंड में लोकस्थान पर फरियादी विजयदास को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर, उसके अग्रसरण में आहत विजयदास को हाथ—मुक्कों से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया तथा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-05.08.2012 को फरियादी विजयदास माईनिंग इंजिनियर को अपनी गाड़ी से बस स्टेण्ड मलाजखण्ड छोड़ने अपने ड्राइवर के साथ आया था। उसे बस स्टेण्ड में बैठालने के बाद करीब 12:30 बजे आरोपी संतोष बिसेन, फिरोज खान तथा पांच अन्य लोग आए और बोले की ऑफिस में चलो तो उसके मना करने पर उन सभी ने मिलकर उसे माँ—बहन की गंदी—गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर हाथ—मुक्के से मारपीट की

और मौके से भाग गए। घटना को दीपक सोनी, कमलेश केकड़े तथा अन्य लोगों ने देखे व सुने हैं। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी विजयदास द्वारा थाना मलाजखण्ड में आरोपीगण के विरुद्ध की गई। उक्त रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र बिरसा में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-88/12, धारा-294, 323/34, 506 (भाग-2) भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया। पुलिस द्वारा गवाहों के कथन लिये गये एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 506 (भाग-2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-05.08.2012 को करीब 12:30 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत बस स्टेण्ड में लोकस्थान पर फरियादी विजयदास को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर, उसके अग्रसरण में आहत विजयदास को हाथ-मुकों से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5- फरियादी विजयदास (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना अगस्त माह वर्ष 2012 की है। घटना दिनांक को वह माईनिंग इंजिनियर को छोड़ने बस स्टेण्ड मलाजखण्ड गया था। घटना के समय वह आर.के. ट्रांसपोर्ट कंपनी मलाजखण्ड में मैनेजर का काम करता था। जब

उसने मलाजखण्ड बस स्टेण्ड पर माईनिंग इंजिनियर को छोड़ा और वहीं पर खड़ा था, तभी आरोपी संतोष और फिरोज खान और उसके साथ अन्य 3-4 लोग उसके पास आए और उसे कहने लगे कि तुम ज्यादा होशियारी बता रहे हो और कह रहे थे कि उसके आदमी को काम पर रखो और यदि नहीं रखना है तो महिने का खर्चा पानी दो। उसने आरोपीगण की बात को अनसुना कर कंपनी की जीप में बैठ गया, तभी आरोपी संतोष ने गाड़ी से उसे कॉलर पकड़कर गाड़ी से बाहर खींचने लगा और हाथ से तीन-चार मुक्के मारा और आरोपी फिरोज खान ने उसे व संतोष को अलग कर जाने के लिए कहा। आरोपीगण के साथ आए 3-4 लोग गाली-गलौज कर रहे थे। घटना की रिपोर्ट उसने अपने लिखित आवेदन प्रदर्श पी-2 के माध्यम से थाना मलाजखण्ड में किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके आवेदन पर प्रदर्श पी-3 की रिपोर्ट लेख की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। मारपीट के दौरान उसे गले-गर्दन, पीठ और माथे पर चोट आई थी। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बिरसा में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

6— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने लिखित शिकायत प्रदर्श पी-2 दिया था, जिस पर थाना मलाजखण्ड ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 दर्ज की गई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उक्त लिखित शिकायत प्रदर्श पी-2 में दिनांक-10.10.2012 अंकित है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक-05.08.2012 लेख है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि लिखित शिकायत व रिपोर्ट में दो माह का अंतर है और वह घटना के संबंध में दो दिन बाद थाना मलाजखण्ड गया था। इस प्रकार साक्षी के द्वारा लिखित शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज किया जाना स्वीकार किया गया है, किन्तु लिखित शिकायत रिपोर्ट लेख किये जाने के लगभग दो माह बाद की होने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया गया है। यद्यपि साक्षी ने उसकी लिखित शिकायत व रिपोर्ट के अनुरूप न्यायालय में साक्ष्य पेश की है, जिसमें महत्वपूर्ण विसंगति एवं विरोधाभास होना प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में प्रथम सूचना रिपोर्ट सारभूत साक्ष्य न होने से उक्त विसंगति का अधिक महत्व नहीं रह जाता है। साक्षी के कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस कारण उसकी साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता।

7- कमलेश केकड़े (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया हैं कि वह आरोपीगण एवं प्रार्थी दोनों को जानता है। घटना लगभग एक-डेढ़ वर्ष पूर्व मलाजखण्ड बस स्टेण्ड की है। घटना के समय वह आर.के.टी कंपनी में गाड़ी चालक था। जब वह घटना दिनांक को होटल साईड से वापस आया तो घटनास्थल पर काफी भीड़ थी, उसे पता चला कि प्रार्थी विजयदास और संतोष का झगड़ा हुआ है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने आरोपीगण ने विजयदास को गंदी-गंदी गालियां देकर जान से मारने की धमकी दिये थे और उसके साथ मारपीट की थी। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-4 से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह झगड़े के समय उपस्थित नहीं था। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

8- दीपक सोनी (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया हैं कि वह आहत विजयदास को जानता है। घटना के समय वह उनकी कंपनी में कार्य करता था। वह आरोपीगण को पहचानता है। घटना आज से लगभग दिन के एक बजे की है। उक्त घटना दिनांक को वह बस स्टेण्ड मलाजखण्ड सामान खरीदने चला गया था, उस दौरान विजयदास का किन्ही व्यक्तियों के साथ विवाद हुआ था। जब वह वापस आया तो विजयदास ने उसे विवाद होने की बात बताई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान थाने में लिये थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने आरोपीगण ने विजयदास को गंदी-गंदी गालियां देकर जान से मारने की धमकी दिये थे और उसके साथ मारपीट की थी। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-1 से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

9- डॉक्टर हेमा बिसेन (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-19.12.2014 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को आरक्षक किशनप्रसाद क्रमांक-320, थाना बिरसा के द्वारा आहत विजयदास पिता एन.सी. दास, उम्र-29 वर्ष निवासी आर.के. केम्प माईन्स को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसके परीक्षण करने पर आहत को साधारण चोट आने की पुष्टि की है। आहत की परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त चिकित्सीय साक्षी के कथनों में इस तथ्य की पुष्टि होती है



कि घटना के समय आहत विजयदास को साधारण उपहति कारित हुई थी।

10— अनुसंधानकर्ता अधिकारी श्यामदेव डोंगरे (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक 05.08.12 को थाना मलाजखण्ड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रधान आरक्षक जैनेन्द्र उपराडे के द्वारा विजयदास की मौखिक रिपोर्ट पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-3 क्रमांक-88/2012, धारा-147, 323, 294, 506 भा.द.वि. की रिपोर्ट लेख की गई थी, जिस पर प्रधान आरक्षक जैनेन्द्र उपराडे के हस्ताक्षर हैं, जिनके साथ कार्य करने के कारण उनके हस्ताक्षर व हस्तलिपि को वह पहचानता है। प्रार्थी विजयदास द्वारा प्रदर्श पी-2 का लिखित आवेदन थाना प्रभारी मलाजखण्ड को दिया गया था, जिसमें अन्य पांच आरोपियों का पता नहीं चलने का एवं फिरोज खान के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में लेख कर दिया था। उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-3 विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक-05.05.2012 को प्रार्थी विजयदास की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-5 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को प्रार्थी विजयदास, साक्षी दीपक, कमलेश के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था, दिनांक-07.08.12 को आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 एवं प्रदर्श पी-7 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी के कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलें में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

11— विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य विवेचन में साक्षियों की संख्या से अधिक साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है और एकल साक्षी की साक्ष्य भी आरोपी की दोषसिद्ध के लिए पर्याप्त है, किन्तु ऐसी साक्ष्य संदेह से परे स्थापित होना आवश्यक है। प्रकरण में एकमात्र फरियादी/आहत विजयदास (अ.सा.2) ने ही अभियोजन मामलें का समर्थन किया है, किन्तु उसकी साक्ष्य अखंडित रही है एवं उसकी साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में अन्य साक्षीगण के पक्षविरोधी होने से अभियोजन का मामला संदेहास्पद नहीं माना जा सकता है।

12— विजयदास (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में कथित गाली-गलौज किये जाने के संबंध में यह प्रकट नहीं किया है कि आरोपीगण ने किन शब्दों अश्लील का

उच्चारण कर कथित गाली-गलौज किया था। मात्र गाली-गलौज किये जाने का तथ्य प्रकट किया जाना पर्याप्त नहीं है, जब तक कि उन शब्द विशेष का उच्चारण करने का तथ्य पेश न किया गया हो, जो फरियादी व अन्य को सुनने में बुरी लगी हो और जिससे उसे तथा अन्य दूसरों को क्षोभ कारित हो। विजयदास (अ.सा.2) की साक्ष्य में कथित गाली-गलौज किया जाकर क्षोभ कारित करने तथा उसे जान से मारने की धमकी दिए जाने का अभाव है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से आरोपीगण के द्वारा फरियादी विजयदास को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर क्षोभ कारित किये जाने एवं उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किये जाने के संबंध में साक्ष्य का अभाव होने से उक्त के संबंध में अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

13— बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि आरोपी फिरोज के द्वारा घटना के समय कथित मारपीट में बीच-बचाव का कार्य किया गया था, इस कारण उसके विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि विजयदास (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में घटना के समय आरोपी संतोष के साथ आरोपी फिरोज के द्वारा किसी प्रकार से मारपीट किया जाना प्रकट नहीं किया है। विजयदास (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में मात्र आरोपी संतोष के द्वारा उसे जीप से बाहर निकालकर मारपीट करने का कथन किया है तथा उक्त मारपीट आरोपी फिरोज के द्वारा किसी प्रकार का सहयोग प्रदान किया जाना प्रकट नहीं किया है। ऐसी दशा में आरोपी फिरोज का उक्त मारपीट के समय आरोपी संतोष को क्रियान्वित सहयोग प्रदान किया जाना प्रकट नहीं होने से आहत विजयदास को उपहति के अपराध हेतु आरोपी संतोष के साथ समान रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

14— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपीगण ने फरियादी विजयदास को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं उसे संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अभियोजन ने यह भी प्रमाणित नहीं किया है कि घटना के समय आरोपी फिरोज ने आरोपी संतोष के साथ मिलकर आहत विजयदास को उपहति करने का सामान्य आशय बनाकर उसके अग्रसरण में आहत विजयदास को स्वेच्छया उपहति कारित की। इस कारण आरोपी फिरोज को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 506

(भाग-2) के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है तथा आरोपी संतोष को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 (भाग-2) के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

15— अभियोजन ने युक्तियुक्त संदेह से परे यह तथ्य प्रमाणित किया है कि आरोपी संतोष ने आहत विजयदास को हाथ-मुक्कें से मारकर उपहति कारित की। आरोपी संतोष के द्वारा आहत विजयदास को उपहति कारित करने का आशय रखते हुए की गई मारपीट में आरोपी संतोष इस संभावना को जानता था कि उसके कृत्य से आहत विजयदास को निश्चित उपहति कारित होगी। इस प्रकार आरोपी संतोष के द्वारा किया गया कृत्य स्वेच्छया उपहति कारित करने की श्रेणी में आता है। अतएव आरोपी संतोष को आहत विजयदास को स्वेच्छया उपहति कारित करने के अपराध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

16— आरोपी संतोष को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी संतोष को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया गया।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

पश्चात्—

17— आरोपी संतोष को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी संतोष की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा उसके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उसके द्वारा मामले में वर्ष 2012 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहा है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

18— मामले में आरोपी संतोष के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। आरोपी संतोष मामले में वर्ष 2012 से लगातार विचारण का सामना कर रहा है। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी संतोष को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव आरोपी संतोष को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 के अपराध के अंतर्गत 1000/- (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के

व्यतिक्रम की दशा में आरोपी संतोष को एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

19— आरोपीगण प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहें हैं। उक्त के संबंध में धारा-428 द.प्र.सं के अंतर्गत पृथक से प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

20— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट